पत्रांक 8/आ05-42/2024

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

कुमार निशांत विवेक, भा०प्र०से०
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

सेवामें,

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जमुई, गोपालगंज।

विषयः- **निलंबन अवधि का नियमानुसार बकाया भुगतान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्री श्रवण कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अलीगंज, जमुई द्वारा अपने निलंबन अवधि के (माह अक्टूबर 2024, नवम्बर 2024, दिसम्बर 2024 एवं जनवरी 2025 को छोड़कर) शेष माह के निलंबन भत्ते भुगतान का अनुरोध किया गया है। श्री कुमार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 761 दिनांक 14.09.2024 द्वारा निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय-कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज निर्धारित किया गया एवं आदेश ज्ञापांक 410 दिनांक 17.04.2025 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अलीगंज, जमुई के पद पर पदस्थापित किया गया। इस प्रकार श्री कुमार दिनांक 14.09.2024 से दिनांक 16.04.2025 तक निलंबित रहे हैं। श्री कुमार दिनांक 31.01.2026 को सेवानिवृत हुए। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 492 दिनांक 13.04.2026 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 43 (बी) के तहत 03 प्रतिशत पेंशन कटौती का दंड 01 वर्ष के लिए अधिरोपित किया गया है।

अतः उक्त अभ्यावेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि श्री श्रवण कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अलीगंज, जमुई के अभ्यावेदन में उल्लेखित माह का शेष जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार एक सप्ताह के भीतर भुगतान की कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनुलग्नक-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(कुमार निशांत विवेक)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक- 8/आ05-42/2024 - 855 पटना, दिनांक 09.07.2026

प्रतिलिपिः- जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), जमुई एवं गोपालगंज/श्री श्रवण कुमार, सेवानिवृत्त प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अलीगंज, जमुई/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)